

# फर्द अहकाम

थालय..... उपलवड साधनेली मुकाम..... रायमण्डल  
 निरवेर कोट बनाम..... नजिहा

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
01/6/16	<p>                             आज यह काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
9-7-16	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
9/8/16	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
14/11/16	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
18/11/16	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
01/12/16	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	
17/1/17	<p>                             आज काउन्सिल 918/1 इरर उपलवड                              सापुलका कोर्ट केर लीमन 41/16 मय                              पियोली गरी/ इरर को पतिवासी गण्ड                              लमन लमन कोर्ट दिनांक 29-7-16 के                              फेर को/ Omy                         </p>	

नम्बर  
अहम  
ज

# फर्द अहकाम

मय.....मुकाम.....  
.....बनाम.....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
25/9/22	<p>वकुलाम फतीमे उमरुल्लाह / लखीमपुर मोहिन्दगढ़ से बुलेटिन रिपोर्ट काफ़र हुई बदल बुलेटिन सुनी गई / पक्षकाम के कार्यरत का बुलेटिन रिपोर्ट काफ़र हुई मुलाक़ि बुलेटिन रिपोर्ट काफ़र हुई उपरोक्त रिपोर्ट काफ़र हुई विस्तृत रिपोर्ट उपरोक्त से लिखित जा मालूम हो किता गल / जमानी के लिये शुमा होकर खोजा से काफ़र हुई सुगम</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपरोक्त अधिकारी मोहिन्दगढ़ (अलवर)</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री रेखा मीना आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 1/32/2021 ता० रजु : 15.11.2021 तारीख निर्णय : 23.09.2022

वउनवान मुकदमा

1. निरवेरकौर पुत्री मेवा सिंह स्त्री जीतसिंह जाति सिख निवासी भैंसड़ावत तह. गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

.....वादीया

बनाम

1. नगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 68 साल
2. बिजलासिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 66 साल
3. मोहनसिंह पुत्र स्व. शलिन्दरसिंह पोत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 41 साल
4. महेन्द्रकौर बेवा स्व. शलिन्दरसिंह पुत्रवधु लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 61 साल
5. सतपालकोर पुत्री अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 30 साल
6. सोमा पुत्री अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिक्ख उम्र करीब 35 साल
7. जस्सो उर्फ जसविन्दर कोर पुत्र अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह उम्र करीब 30 साल जाति सिक्ख निवासीयान ग्राम भैंसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
8. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) गोविन्दगढ़ जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- उपस्थित :- 1. अमृतलाल सैनी - अधिवक्ता वादीया  
2. सतीश चन्द - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3



//निर्णय//

दिनांक : 23.09.2022

वदीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्यों का विवरण पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 17.0.2021 में वर्णित किया गया है। जिसमें वादीया एवं व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 0.1897 हे. वाके ग्राम भैंसड़ावत का बंटवारा के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी बाबत कुर्रैजात प्रस्ताव तहसीलदार गोविन्दगढ़ से तलब करने हेतु उक्त निर्णय किया जा चुका है। वादीया एवं प्रतिवादीगण आधार आर.टी.एक्ट की धारा 53 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में दावा वादीया प्रारम्भिक डिक्री किया गया

*Deek*  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)


कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2069-75 के आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 0.1897 हे. वाके ग्राम भैंसड़ावत दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त ख.नं. 787 वाके ग्राम भैंसड़ावत में वादीया निरवेरकौर पुत्री मेवा सिंह स्त्री जीतसिंह निवासी भैंसड़ावत को उक्त खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.0712 हे. तर्फ पश्चिम एवं खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.1185 हे. तर्फ पूर्व में से प्रतिवादी सं. 01 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 02 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 03 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 04 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 05 को 1/12 हि., प्रतिवादी सं. 06 को 1/12 हि. तथा प्रतिवादी सं. 07 को 1/12 हि. उक्त उनवानी प्रकरण में ख. नं. 787 की कुरेजात अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी तैयार कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा तैयार होकर प्राप्त हुआ है।

हमने वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा तहसीलदार गोविन्दगढ़ से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर बहस वकूलाए सुनी गयी जिस पर वकूलाए पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का गहनपूर्वक मनन किया, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादीया का वाद पत्र उक्त अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी का तकसीम किया जाना न्यायोचित है।


अतः वादीया का वाद पत्र मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 0.1897 हे. वाके ग्राम भैंसड़ावत में से खातेदार वादीया को खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.0712 हे. तर्फ पश्चिम तकसीम में दिया जाता है एवं खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.1185 हे. तर्फ पूर्व में से गैरखातेदारान प्रतिवादी सं. 01 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 02 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 03 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 04 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 05 को 1/12 हि., प्रतिवादी सं. 06 को 1/12 हि. तथा प्रतिवादी सं. 07 को 1/12 हि. का प्रतिवादीगण को तकसीम में दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार गोविन्दगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर



  
(रेखा मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

आज दिनांक 23.09.2022 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राज.)

पीठारीन अधिकारी : सुश्री रेखा मीना आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 1/32/2021 ता० रजू : 15.11.2021 तारीख निर्णय : 23.09.2022

वउनवान मुकदमा

1. निरवेरकौर पुत्री मेवा सिंह स्त्री जीतसिंह जाति सिख निवासी भैंसडावत तह. गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

.....वादीया

वनाम

1. नगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 68 साल
2. बिजलासिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 66 साल
3. मोहनसिंह पुत्र स्व. शलिन्दरसिंह पोत्र स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 41 साल
4. महेन्द्रकौर बेवा स्व. शलिन्दरसिंह पुत्रवधु लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 61 साल
5. सतपालकोर पुत्री अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 30 साल
6. सोमा पुत्री अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह जाति सिख उम्र करीब 35 साल
7. जस्सो उर्फ जसविन्दर कोर पुत्र अमरजीतसिंह पोत्री स्व. लक्ष्मणसिंह उम्र करीब 30 साल जाति सिख निवासीयान ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर
8. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) गोविन्दगढ़ जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :- 1. अमृतलाल सैनी - अधिवक्ता वादीया  
2. सतीश चन्द - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3

अतः वादीया का वाद पत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 0.1897 हे. वाके ग्राम भैंसडावत में से खातेदार वादीया को खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.0712 हे. तर्फ पश्चिम तकसीम में दिया जाता है एवं खसरा नम्बर 787 मिन रकबा 0.1185 हे. तर्फ पूर्व में से गैरखातेदारान प्रतिवादी सं. 01 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 02 को 1/4 हि., प्रतिवादी सं. 03 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 04 को 1/8 हि., प्रतिवादी सं. 05 को 1/12 हि., प्रतिवादी सं. 06 को 1/12 हि. तथा प्रतिवादी सं. 07 को 1/12 हि. का प्रतिवादीगण को तकसीम में दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार गोविन्दगढ़ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिए जाते हैं।



*Rekha*  
(रेखा मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)